प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- महानिदेशक,
  चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
  उ0प्र0 लखनऊ।
- महानिदेशक,
  चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
  जवाहर भवन, लखनऊ।

पत्रांकः यू.पी.एस.बी.टी.सी./16-17/189/ 119 दिनॉकः 19 अप्रैल, 2017

विषयः मेडिकल कालेज/जिला चिकित्सालयों में स्थापित राजकीय रक्तकोषों के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों/मेडिकल कालेजों में स्थापित रक्तकोषों के सुधार के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0/उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा चिकित्सालय स्तर पर चिकित्सालय रक्त सचंरण समिति (Hospital Blood Transfusion Committee) के गठन एवं रक्तकोषों द्वारा एकत्रित प्रोसेसिंग चार्जेज आदि के नीतिगत व्यय के सन्दर्भ में समय–समय पर निर्देश प्रेषित किये गये है। मेरे संज्ञान में आया है कि कई रक्तकोषों में भ्रम की स्थिति के कारण उपरोक्त निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित संस्थानों के कार्यालयाध्यक्ष/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः पूर्व में निर्गत निर्देशों की प्रति संलग्न करते हुए आपसे अपेक्षा है कि राजकीय रक्तकोषों के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

1. चिकित्सालय स्तर पर चिकित्सालय रक्त संचरण समिति (Hospital Blood Transfusion Committee) का गठन निम्नानुसार किया जाए :–

• प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	अध्यक्ष
• मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उपाध्यक्ष
• मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (महिला)	सदस्य
• जिला अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
• जिला क्षयरोग अधिकारी	सदस्य
• पैथालॉजिस्ट/रक्तकोष प्रभारी	विषय विशेषज्ञ
• क्लीनिकल चिकित्सक (सर्जन, फिजीशियन, गाइनोकोलॉजिस्ट)	सदस्य
• दो प्रतिनिधि स्वैच्छिक रक्तदान में सहयोग करने वाली संस्थाओं के (जैसे एन.एस.एस., कोर्डिनेटर, रोटरी क्लब, लॉयन्स क्लब आदि से)	सदस्य

उपरोक्त समिति के निम्न कार्य एवं दायित्व होगें :–

(i) चिकित्सालय एवं क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप रक्त/रक्त उत्पादों की आवश्यकता का आंकलन करना एवं उनकी प्रतिपूर्ति व्यवस्था हेतु प्रभावी रणनीति हेतु सुझाव।
(ii) स्वैच्छिक रक्तदान बढ़ाने हेतु अपनाई जाने वाली रणनीति पर सुझाव व अनुश्रवण।
(iii) त्रैमासिक अन्तराल पर समिति की बैठक कर चिकित्सालय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों (प्लाज्मा निस्तारण/रक्त प्रोसेसिंग चार्जेज आदि से प्राप्त धनराशि) से रक्तकोष सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक उपकरणों की मरम्मत, कैलिब्रेशन आदि का वास्तविक आंकलन कर सुझाव देना।

2. बी.सी.एस.यू. में एकत्रित अतिरिक्त प्लाज्मा के निस्तारण के सम्बन्ध में राज्य रक्त संचरण परिषद एवं सम्बन्धित फर्म के मध्य हुए अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही चिकित्सालय रक्त संचरण समिति की सहमति से की जाएगी।